न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 26 / 2022 अपील (GCMS 2022/28)
पंजीयन दिनांक– 02.03.2022
निर्णय दिनांक– 28.03.2023

1. मैसर्स रिद्धी सिद्धी बिल्डर जरिये पार्टनर श्री फूलचंद पोखरना पिता जीतमल पोखरना, निवासी 846, ज्ञाननगर, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 4, उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मिट्टू बाई पत्नि श्री मानाजी पुत्री श्री रामलाल डांगी, निवासी रूपसागर, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
2. श्री देवीलाल पिता रामलाल डांगी, निवासी खेडा रोड़, चतरसिंह जी के मकान के पास, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री ओम प्रकाश उर्फ कालुलाल पिता रामलाल डांगी, निवासी मेन रोड, सवीना, देवीलाल जैन के मकान के पीछे, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती हुडी बाई पिता रामलाल पत्नि दल्लाराम डांगी, निवासी हुन्दरियों का नोहरा, डांगियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
5. सुश्री वरजु बाई पुत्री श्री रामलाल डांगी, निवासी निर्भयशंकर दीक्षित के मकान के पास सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. श्री भावेश चपलोत HUF कर्ता श्री भावेश चपलोत पिता लक्ष्मीलाल चपलोत, निवासी नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
7. श्रीमती चिंतामणी पत्नि श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।
9. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
10. श्रीमती नकारी बाई पत्नि रामलाल डांगी, निवासी खेड़ा रोड़ चतरसिंह के मकान के पास, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री गजेन्द्र नाहर	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री सम्पतलाल बोहरा	अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1
3	श्री भुरालाल डांगी	अधिवक्ता रेस्पो. सं. 4 (अनुपस्थित)
4.	श्री खेमराज डांगी	अधिवक्ता रेस्पो. सं 5
5.	श्री कैलाश नागदा	अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 6 व 7
6.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8
7	श्री दिलीप सुथार	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध, जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या
12/2019 निर्णय दिनांक 24.09.2019

निर्णय

दिनांक 28.03.2023

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 12/2019 निर्णय दिनांक 24.09.2019 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी तथा प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ दिनांक 28.02.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती मिट्टू बाई द्वारा एक अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, गिर्वा के नामांतरकरण संख्या 431 निर्णय दिनांक 01.09.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सवीना, तहसील गिर्वा के आराजी नम्बर 1696 से 1702 एवं 1705 से 1712 कुल किता 15 रकबा 4.9800 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 43 कुल किता 03 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो कन्ना पिता नन्दा डांगी के खातेदारी में चली आ रही थी। कन्ना का देहवासान

1983 एवं रामलाल का देहवासान 1980 में हो जाने से दोनो का एक ही नामांतरकरण विरासत से खोलने हेतु पटवारी हल्का को रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र दिया। सजरे में रामलाल के तीन वारिस देवीलाल, कालूलाल व मु. नकारी बाई दर्शाये गये जबकि मृतक रामलाल के छः वारिस होकर तीन पुत्रियां वरजु बाई, हुडीबाई व मिट्टू बाई हुए। विरासत के नामांतरकरण में पुत्रियों को छोड दिया गया। नामांतरकरण खोलते समय पुत्रियों को कोई सूचना भी नहीं दी गई। जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है। तथाकथित जमीन का नामांतरकरण रामलाल के बजाय अपीलांट व सभी रेस्पोडेंट्स के नाम बराबर हक से खोला जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी को पैतृक भूमि से वंचित कर नामांतरकरण भरकर बिना जांच के ही स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत करने से पूर्व न तो नोटिस दिया था, न ही सुनवाई का अवसर ही दिया था एवं बिना सुने ही कथित नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया जो एबइनीश्योबाईड होकर बिना अधिकार के है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 431 दिनांक 01.09.1992 तहसीलदार, गिर्वा के आदेश को निरस्त फरमाया जावें एवं रामलाल के समस्त वारीसानों के पक्ष में नामांतरकरण खोला जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 12/2019 निर्णय दिनांक 24.09.2019 से अपील अपीलांट स्वीकार की जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.09.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— ***''उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा द्वारा ग्राम सवीना का स्वीकृत नामांतरकरण***

संख्या 431 दिनांक 01.09.1992 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा को प्रकरण पुनः इन निर्देशों के साथ में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय रामलाल के सभी विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से सभी वारिसानों के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करे।''

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र नाहर उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भुरालाल बवक्त बहस अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 8 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सुथार उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 व 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.03.2023 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि उपरोक्त कुलिया आराजीयात जो कि स्व. कन्ना के विधिक वारिसान रामलाल, तुलसीराम, गंगाराम, अम्बालाल, वाली बाई की संयुक्त संपत्ति होकर स्व. कन्ना के जीवनकाल में ही रामलाल की मृत्यु हो गई थी एवं रामलाल की मृत्यु के पश्चात कन्ना के उपरोक्त वर्णित वारिसान द्वारा रामलाल के वारिसान व अन्य वारिसान के मध्य आपसी बंटवारा दिनांक 04.01.2000 को निष्पादित किया गया जिसके तहत स्व. रामलाल के वारिसान के हिस्से आराजी नम्बर 1697, 1698, 1708, 1711 कुल किता 4 रकबा 1.1350 आया तद्उपरांत स्व. कन्ना की पत्नि वाली बाई की मृत्यु भी हो गई उनका हिस्सा भी कन्ना के शेष वारिसान के

हिस्से आया एवं पुनः स्व. कन्ना के वारिसान के द्वारा एक आपसी बंटवारा प्रकरण संख्या 26/2007 को आपसी सहमति के द्वारा दिनांक 17.07.2007 को किया गया एवं तहसीलदार, गिर्वा से तस्दीक करावाया गया। इस प्रकार उक्त बंटवारे के तहत स्व. रामलाल के विधिक वारिसान के हिस्से 1699मी., 1709मी. 1710मी., 4308/1711, 4310/1700, 4312/1708, 4319/1708 व 4320/1712 कुल किता 8 रकबा 1.2450 हैक्टेयर आया। स्व. रामलाल के आये उपरोक्त हिस्से को तत्समय रामलाल के समस्त पारिवारिक सदस्यों की सहमति के आधार पर स्व. रामलाल की पत्नि व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की गई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व उनकी माता नकारी बाई द्वारा उक्त कुलिया हिस्से को अलग–अलग विक्रय पत्र व अंतरण पंजीकृत करार के द्वारा क्रमशः ओमप्रकाश अग्रवाल, भावेश चपलोत HUF चिंतामणी अग्रवाल, अनिल कुमार जैन व संजय कुमार जैन द्वारा अपना हिस्सा रिद्धी सिद्धी बिल्डर जरिये भागीदार फूलचंद पोखरना (अपीलांट) को विक्रय कर पंजीयन करा दिया एवं राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि दिनांक 05.04.2010 को अपीलांट के नाम दर्ज हो गई। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 के नाम दर्ज होने के पश्चात उनके द्वारा उक्त भूमि को आवासीय रूपांतरण करवाने बाबत एक आवेदन नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में दिनांक 06.07.2010 को प्रस्तुत किया जहां पर उक्त भूमि का पुर्नग्रहण आदेश दिनांक 02.02.2011 को जारी किया गया जिसके तहत उक्त भूमि जरिये नामांतरकरण संख्या 1701 दिनांक 01.06.2011 के तहत कुलिया भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो चुकी हो पट्टों की कार्यवाही जारी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को छुपाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व अन्य वर्तमान सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 के नाम उपरोक्त भूमि कलम संख्या 1 में वर्णित अनुसार आई है लेकिन उक्त समस्त तथ्यों को

छुपाते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दुषित आदेश पारित करा दिया जो गलत होकर निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेंट के कथन अपील लाई नही होने के संबंध में अपीलांट का निवेदन है कि प्रथम तो उक्त अपील धारा 96 के प्रावधानों के तहत पेश की गई होकर धारा 96 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस आदेश से आप प्रभावित होते है उस आदेश की अपील अपीलीय न्यायालय में की जाती है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2018-19 Sup 581, RRT (2) 2018 Page 879, का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रामलाल की जायंदा लडकी होकर उसका कथित संपत्ति में लडकों के बराबर अधिकार है तथा उसके नाम पर जानबूझकर मौजूदा अपीलांट ने नामांतरकरण नही भरवाकर अपीलांट्स के नाम पर ही नामांतरकरण भरवाकर स्वीकृत कर लिया इस कारण जिला कलक्टर ने मौजूदा रेस्पोडेंट मिट्टू बाई को रामलाल का वारिस होना मानते हुए अपील स्वीकार की वह बिल्कुल उचित है। क्योंकि लडकियों का लडकों के बराबर हक व अधिकार है इस कारण धारा 96 में स्वीकृति देते हुए अपील अंतिम रूप से स्वीकार की जो बिल्कुल उचित है। तहसीलदार द्वारा जो नामांतरकरण स्वीकार किया गया था उसमें अपीलांट को सुने बिना ही स्वीकार किया गया था वह नामांतरकरण बिना अधिकार के था तथा ऐसे नामांतरकरण को किसी भी समय निरस्त किया जाना चाहिए उसमे मयाद रूकावट पैदा नही कर सकती है तथा मयाद हमेशा तारीख ज्ञान से शुरू होती है। सभी लीगल वारिसान को सुना जाना आवश्यक है जबकि तहसीलदार ने नामांतरकरण स्वीकृत करने से पूर्व न तो मौजूदा रेस्पोडेंट को नोटिस ही दिया न उन्हें सुना ही गया इस

कारण जिला कलक्टर ने मामला मौजूदा रेस्पोडेंट को सुनकर वारिसान की जांच कर सभी वारिसान के नाम नामांतरकरण करने का आदेश दिया जिसमें किसी प्रकार की गलती नही है। अतः उक्त अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 बवक्त बहस अनुपस्थित रहे, किन्तु इनके द्वारा दिनांक 12.04.2022 को जवाब प्रस्तुत किया जाकर अपील खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 24.09.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 24.09.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 24.09.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 9 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 24.09.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.09.2019 की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 28.02.2022 को पेश की गयी है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था अतएवं उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित नहीं है, अतएवं अपीलांट की अपील को न्यायहित में कण्डोन किया जाता है।

- प्रकरण में अब हम अपीलाण्ट के दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन में यह वर्णित किया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में आदेश पारित करते समय प्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही प्रार्थी को सुना गया था। हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, उसमें अपीलाण्ट की भूमि प्रभावित होती है, अतएवं अपीलाण्ट को आवश्यक, हितबद्ध पक्षकार प्रथम दृष्टया उचित समझते हैं, तद्नुसार दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतो ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि (अपीलांट) वर्तमान रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4, 5 व 10 के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किया कि मौजा सवीना, तहसील गिर्वा के आराजी नम्बर 1696 से 1702 एवं 1705 से 1712 कुल किता 15 रकबा 4.9800 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 43 कुल किता 03 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो कन्ना पिता नन्दा डांगी के खातेदारी में चली आ रही थी। कन्ना का देहवासान 1983 एवं रामलाल का देहवासान 1980 में हो जाने से दोनो का एक ही नामांतरकरण विरासत से खोलने हेतु पटवारी हल्का को रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र दिया। सजरे में रामलाल के तीन वारिस देवीलाल,

कालूलाल व मु. नकारी बाई दर्शाये गये जबकि मृतक रामलाल के छः वारिस होकर तीन पुत्रियां वरजु बाई, हुडीबाई व मिट्टू बाई हुए। विरासत के नामांतरकरण में पुत्रियों को छोड दिया गया। नामांतरकरण खोलते समय पुत्रियों को कोई सूचना भी नहीं दी गई। जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है। तथाकथित जमीन का नामांतरकरण रामलाल के बजाय अपीलांट व सभी रेस्पोडेंट के नाम बराबर हक से खोला जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी को पैतृक भूमि से वंचित कर नामांतरकरण भरकर बिना जांच के ही स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत करने से पूर्व न तो नोटिस दिया था, न ही सुनवाई का अवसर ही दिया था एवं बिना सुने ही कथित नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया जो एबइनीश्योबाईड होकर बिना अधिकार के है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 431 दिनांक 01.09.1992 तहसीलदार, गिर्वा के आदेश को निरस्त फरमाया जावें एवं रामलाल के समस्त वारीसानों के पक्ष में नामांतरकरण खोला जावें।

- प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि स्व. कन्ना के विधिक वारिसान रामलाल, तुलसीराम, गंगाराम, अम्बालाल, वालीबाई की संयुक्त संपत्ति होकर स्व. कन्ना के जीवनकाल में ही रामलाल की मृत्यु हो गई थी एवं रामलाल के मृत्यु के पश्चात कन्ना के उपरोक्त वर्णित वारिसान द्वारा रामलाल के वारिसान व अन्य वारिसान के मध्य आपसी बंटवारा दिनांक 04.01.2000 को निष्पादित किया गया जिसके तहत रामलाल के वारिसान के हिस्से आराजी नम्बर 1697, 1698, 1708 एवं 1711 कुल किता 4 रकबा 1.1350 हैक्टेयर भूमि हिस्से दर्ज हुई, तद्उपरांत कन्ना की पत्नि वाली बाई की मृत्यु भी हो गई उनका हिस्सा भी कन्ना के शेष वारिसान के दर्ज हुआ एवं पुनः कन्ना के वारिसान द्वारा एक

आपसी बंटवारा प्रकरण संख्या 26/2007 आपसी सहमति के द्वारा दिनांक 17.07.2007 को किया गया एवं तहसीलदार, गिर्वा से तस्दीक करवाया गया इस प्रकार उक्त बंटवारे के तहत रामलाल के विधिक वारिसान के हिस्से 1699मी., 1709मी., 1710मी., 4308/1711, 4310/1700, 4312/1708, 4319/1708 व 4320/1712 कुल किता 08 रकबा 1.2450 हैक्टेयर भूमि हिस्से दर्ज हुई।

- तत्समय रामलाल के समस्त पारिवारिक सदस्यों की सहमति के आधार पर स्व. रामलाल की पत्नि व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की गई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व उनकी माता नकारी बाई द्वारा उक्त कुलिया हिस्से को अलग–अलग विक्रय पत्र व अंतरण पंजीकृत करार के द्वारा क्रमशः ओमप्रकाश अग्रवाल, भावेश चपलोत HUF चिंतामणी अग्रवाल, अनिल कुमार जैन व संजय कुमार जैन द्वारा अपना हिस्सा रिद्धी सिद्धी बिल्डर जरिये भागीदार फूलचंद पोखरना (अपीलांट) को विक्रय कर पंजीयन करा दिया एवं राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि दिनांक 05.04.2010 को अपीलांट के नाम दर्ज हो गई। अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार अपीलाण्ट को पक्षकार ही संस्थित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.09.2019 को बिना किसी जांच के एवं इन तथ्यों के सत्यापन हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय का विधिक एवं अकाट्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुने बिना उसके विरूद्ध निर्णय नहीं किया जा सकता।

- हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुने बिना व बिना पुष्टिकारक साक्ष्य के जो निर्णय किया है, वह तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया

जाता है कि उभयपक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में उभय पक्षों की साक्ष्य व जांच के बाद इस प्रकरण में नवनिर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.05.2023 को उपस्थित रहे।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर